न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2025 जीसीएमएस नम्बर 2025/69

अनवान

1. अणसीदेवी पुत्री मेवाराम पत्नी निम्बाराम जाति रेबारी निवासी दुगावा तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीया..........

1. मेवा पुत्र हरदा जाति रेबारी निवासी दुगावा तहसील सांचौर जिला जालोर ।
2. भंवरीदेवी पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहम्मण निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

अप्रार्थीगण............

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः—15.04.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा।
2. अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतीप्रसाद।
3. अप्रार्थी संख्या 1,3,4 एकपक्षीय।

—:निर्णयः—

दिनांकः— **04.02.2026**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— ग्राम दुगावा में मेरी पैतृक एवं कब्जा—काश्त की खातेदारी भूमि पुराने खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 24 बीघा 12 बीस्वा है, जो प्रथम सेटलमेंट में मेरे दादाजी हरदा पुत्र रूपा, जाति रेबारी के नाम खतौनी बंदोबस्त में दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट में यही भूमि नवीन खसरा नम्बर 32 रकबा 3.98 हेक्टेयर के रूप में नवसृजित हुई है। उक्त भूमि पैतृक होने से मेरे पिता मेवाराम पुत्र हरदा को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 01 मेरे पिता हैं तथा हम कुल 09 संतानें हैं, अतः प्रत्येक उत्तराधिकारी का 1/10 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजी में मेरा 1/10 हिस्सा जन्मसिद्व है तथा उसी अनुसार मेरा कब्जा—काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण भूमि मेरे पिता के नाम दर्ज है, जबकि वे अशिक्षित हैं। अप्रार्थी संख्या 02 के पति गौरीशंकर द्वारा पद का दुरुपयोग कर मेरे पिता से अधिक हिस्से की 1.29 हेक्टेयर भूमि का बेचान अपनी पत्नी के नाम करवा लिया गया, जो अवैध व शून्य है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता। मौके पर कब्जे का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। मेरी भूमि पर वर्तमान में रायडा व अरंडी की फसल खड़ी है, परन्तु

अप्रार्थीगण द्वारा धमकियाँ देकर खेती में बाधा डाली जा रही है तथा बैचान की धमकी दी जा रही है, जिससे मुझे अपूरणीय क्षति की संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मेरे पक्ष में है। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 3.98 हेक्टेयर में अंतिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी, बेदखली, निर्माण, तारबंदी, फसल में बाधा अथवा भूमि के हस्तांतरण से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखी जाए।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 15.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 01 से 07 तक गलत होने से अस्वीकार किया जाता है। मौजा दूगावा का खेत खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टर प्रार्थीया की पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रार्थीया ने स्वयं को हरदा वल्द रूपा की पौत्री बताने के समर्थन में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः उनका कोई अधिकार सिद्ध नहीं होता। उक्त आराजी पर प्रार्थीयां का न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में कोई हक–हकूक या अधिकार रहा है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में अकेले मेवा वल्द हरदा के नाम दर्ज थी, इसके मेवाराम व भोमा के बंट में आने संबंधी कोई आदेश या दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 द्वारा उक्त भूमि का रकबा 1.29 हैक्टर विधिवत प्रतिफल अदा कर दिनांक 26–07–2005 को पंजीकृत बैचान दस्तावेज के माध्यम से क्रय किया गया, कब्जा प्राप्त किया गया तथा राजस्व जांच उपरांत नामांतरण स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज है। उक्त बैंचान दस्तावेज आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया है। प्रार्थीया द्वारा लगभग 20–30 वर्ष बाद देरी से वाद प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्टतः म्याद बाहर है। मैं एक सद्भावनापूर्ण क्रेता एवं रिकॉर्डेड खातेदार हूं, अतः विधि अनुसार मेरे विरुद्ध स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। साथ ही, प्रकरण संख्या 16 / 2020 (भंवरीदेवी बनाम मेवा वगैरा) में मेरे पक्ष में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित हो चुकी है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों मेरे पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आधारहीन, मनगढंत, म्याद बाहर तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में काबिल–ए–निरस्त है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आज ही मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीया की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम दुगावा के पुराने खेत खसरा संख्या 6 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई है जाक प्रार्थीया के दादा हरदा के नाम की आराजी थी, उक्त पुराने खसरा संख्या से नवीन खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टेयर नवसृजित किए है उक्त आराजी भाई बंट में अप्रार्थी संख्या 1 मेवाराम की दी गई। प्रार्थीया मेवाराम की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 मेवाराम को उक्त आराजी हरदा का उत्तराधिकारी होने के नाते प्राप्त होन से अप्रार्थी संख्या 1 मेवाराम के 9 संताने होने से वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1 / 10, 1 / 10 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 मेवा भोला व अनपढ़ व्यक्ति होने से अप्रार्थी संख्या 2 के पति पद पर होने का नाजायज फायदा उठाकर गौरीशंकर ने प्रार्थीया के पिताजी को सोसायटी ऋण देने के बहाने वादग्रस्त आराजी में से 1.29 हैक्टेयर उसकी पत्नी अप्रार्थीया संख्या 2 के नाम से करवा दिया। उक्त बैचान अवैध व शून्य प्रभावी है तथा उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या1 ने अपने हिस्से से ज्यादा का बैचान दस्तावेज करवाया है तथा उक्त अवैध बैचान दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 2 किसी अजनबी को भूमि बैचान करने व प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकियां देने से अप्रार्थीगण को जरिये मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीया संख्या 2 ने दौराने बहस उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि मौजा दुगावा के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टेयर भुमि प्रार्थीया की पैतृक संपत्ति नहीं है चुंकि प्रार्थीया हरदा वल्द रूपा की पौत्री होने के संबंध में प्रार्थना–पत्र में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र पेश नही किया है, अगर प्रार्थीया मृतक हरदा की पौत्री होती तो हरदा की मृत्यु के पश्चात मेवाराम के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण की अपील अवश्य करती, किन्तु हरदा को फौत हुए करीब 30 वर्ष की अवधि हो चुकी है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्पष्टतया म्याद बाहर है। अप्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी वक्त खरीद खातेदार से प्रतिफल की राशि अदाकर विधिवत् अप्रार्थीया के पक्ष में 1.29 हैक्टेयर भूमि का बैचान दस्तावेज तकमील करवाया जो बैचान दस्तावेज पंजियन होने से आज भी प्रभावी है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 2 से प्रतिफल प्राप्त कर दो गवाहों के रूबरू नियमानुसार उपपंजियक कार्यालय में उपस्थित होकर बैचान दस्तावेज दिनांक 26.07.2005 को पंजियन करवाया इस कारण प्रार्थीया का यह कथन सरासर गलत है। कि मेवाराम भोले एवं अनपढ़ व्यक्ति होने से उन्हें बिना प्रतिफल दिये अप्रार्थी के पति गौरीशंकर ने ऋण देने का प्रलोभन देकर गलत बैचान दस्तावेज करवाया हो अगर ऐसा होता तो प्रार्थीया अप्रार्थीया व उसके पति के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाती जबकि बैचान दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरी देवी का मौके पर रकबा 1.29 हैक्टेयर पर कब्जा काष्त होने से राजस्व एजेन्सी द्वारा अप्रार्थीया संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर खातेदारी दर्ज की गई तथा अप्रार्थीया ने बंटवाडा करवाने हेतु एक राजस्व वाद संख्या 16 / 2020 बअनवान भंवरीदेवी बनाम मेवाराम वगैरह का माननीय न्यायालय में पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 14.10.2024 को अप्रार्थीया के पक्ष में होने से अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को आगे कर उक्त प्रार्थना–पत्र गलत व निराधार पेश किया है चुंकि अप्रार्थी मेवा की अन्य भूमि मौजा दुगावा में खेत खसरा संख्या 30 रकबा 4.16 हैक्टेयर की आराजी में से कुछ आराजी अप्रार्थी संख्या 1 मेवा द्वारा पूर्व में करमी वल्द हेमा कौम रेबारी निवासी दुगावा को बैचान की , परन्तु प्रार्थीया ने करमी के विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर अप्रार्थीया संख्या 2 को परेशान करने के लिए यह गलत प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जबकि

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

अप्रार्थीया संख्या 2 सद्भावी क्रेता व रेकॉर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी पर रकबा 1. 29 हैक्टेयर का कब्जा काश्त अप्रार्थीया संख्या 2 का होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। अप्रार्थीया संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है। RRD may-2001 पेज संख्या 251 बालु एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य, RRT 2023 (1) पेज संख्या 656 ज्ञानीराम बनाम विक्रमसिंह, RRT 2016-17 (Sapp) पेज संख्या 232 जगदीशसिंह बनाम रामकरण, RRT 2015 (1) पेज संख्या 633 अवतार खान बनाम मेहरबानो, RRT 2018 (1) पेज संख्या 692 पानबाई बनाम चन्द्रप्रकाश एवं अन्य, RRT 2016 (2) पेज संख्या 1323 ओमप्रकाश बनाम द्वारका प्रसाद, RRT 2023 (2) पेज संख्या 1090 शिवराज बनाम धनश्याम, RRT 2022-23 (Sapp) पेज संख्या 176 दातारसिंह बनाम करणीसिंह RRT 2022 ।

6. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली– भांति अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नालिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचना करते हुए निर्णित करना उचित समझते है।

(1) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है और मूल दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया ने वादग्रस्त आराजी हरदा की पौत्री होना कथन किया है, जबकि प्रार्थीया की ओर से एक भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शित करता है कि प्रार्थीया हरदा की पौत्री हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब के साथ बैचान दस्तावेज (खरीदारी खेत) की नकल पेश की जिसके अनुसार मौजा दुगावा के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टेयर मे से 1. 29 हैक्टेयर भूमि जरिये प्रतिफल राशि दो लाख रूपये बैचानकर्ता मेवा वल्द हरदा जाति रेबारी, निवासी दुगावा ने श्रीमति भंवरी देवी धर्मपत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सांचौर के दिनांक 26.07.2005 को बैचान कर कब्जा अप्रार्थीया संख्या 2 को सुपुर्द किया जो उक्त बैचान दस्तावेज उपपंजियन कार्यालय सांचौर के समक्ष पंजियन किया गया। तथा उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरी देवी नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीया संख्या 2 के पति गौरीशंकर सहकारी सोसायटी पांचला में मैनेजर के पद पर कार्यरत होना तथा प्रार्थीया के पिता मेवाराम को नाजायज फायदा उठाकर ऋण देने के बहाने वादग्रस्त आराजी में से 1.29 हैक्टेयर भूमि का बैचाननामा उसकी पत्नी अप्रार्थीया संख्या 1 या प्रार्थीया के साथ इस प्रकार की धोखाधडी अप्रार्थीया संख्या 2 या उसके पति गौरीशंकर द्वारा की होती तो अप्रार्थी संख्या 1 मेवाराम या प्रार्थीया अणसीदेवी उनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा अवश्य करवाती, जबकि प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। तथा उक्त बैचान दस्तावेज उपपंजियक सांचौर के समक्ष पंजियन होने से एक पंजियन दस्तावेज है। इस प्रकार अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से उपरोक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो से यह स्पष्ट है कि किसी भी सद्भावी क्रेता तथा रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरी देवी एक सद्भावी क्रेता एवं वादग्रस्त आराजी की रेकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा पेश उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू (चस्पा) होते है। इसी प्रकार ग्राम दुगावा के नामान्तरकरण संख्या 47 का अवलोकन किया जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 30 में से मेवा वल्द हरदा रेबारी ने अपने हिस्से में से करमी वल्द हेमा को रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि बेचान करने का उल्लेख है, परन्तु प्रार्थीया ने खेत ख.सं. 30 के संबंध में कोई कार्यवाही नही की है तथा अप्रार्थीया श्रीमती भंवरी देवी ने अप्रार्थी संख्या 1 मेवा के विरूद्ध इस न्यायालय में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो बअनवान श्रीमति भंवरीदेवी बनाम मेवा वगैरह है जिसके प्रकरण संख्या 16/2020 है उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 14.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा प्रार्थीया द्वारा हस्तगत प्रकरण दिनांक 15.04.2025 को पेश किया गया है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा पेश प्रकरण संख्या 16/2020 को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 मवा से दुरभिसंधी कर हस्तगत प्रकरण पेश किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरी देवी सद्भावी क्रेता एवं रेकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है परिणाम स्वरूपः प्रार्थीया अपने हक में प्रथम दुष्टया मामला साबित करने में पुर्णतया असफल रही है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी सिद्ध होता है।

(2) सुविधा कर संतुलन :— हस्तगत मामले में प्रार्थीया विवादित आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पुरी तरह से असफल रही है तथा बैचान दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरीदेवी से प्रतिफल राशि लेकर खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टेयर में से 1.29 हैक्टेयर पर अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरीदेवी को मौके पर कब्जा सुपुर्द करवा दिया बाबत् स्पष्ट किया गया है तथा जमाबंदी संवत् 2075—2078 के नया खाता संख्या 134 के खसरा संख्या 32 रकबा 3.98 हैक्टेयर में से अप्रार्थीया संख्या 2 भंवरीदेवी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग—उपभोग से रोका गया तो प्रार्थीया के बजाय अप्रार्थीया संख्या 2 को भारी असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीया के पक्ष में भली भांति सिद्ध होता है।

(3) अपूरणीय क्षति :— पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान, बैंक से ऋण प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार खातेदारान् को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिन्दु बहक अप्रार्थीया साबित होता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराती के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत नहीं रामझते है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला जालोर

अनवानः— अणसीदेवी बनाम मेवा
मुकदमा संख्याः— 19 / 2025
निर्णय तारीखः— 04.02.2026

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचनानुसार निष्कर्षतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दुष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 4/2/2026 को सर—ए—इजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर